

प्रेषक,

ओम प्रकाश,  
अनु सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2**

लखनऊ, दिनांक १५ नवम्बर, 2022

**विषय:-** जनपद सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0, डाला, सोनभद्र द्वारा कजरहट (डाला) लाईम स्टोन माइन्स के अन्तर्गत 294.082 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं भलुआ लाईम स्टोन माइन्स के अन्तर्गत 50.606 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 344.688 हे0 आरक्षित वनभूमि पर खनन कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 10 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने एवं बाधक 16534 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0-एफपी/यूपी/MIN/47074/2020)


**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक कृपया भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या-8-26/2021-एफसी दिनांक 14.11.2022 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के उपर्युक्त पत्र दिनांक 14.11.2022 में उल्लिखित कमियों का निराकरण कर आख्या/तत्सम्बन्धी अभिलेख अपनी संस्तुति सहित आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**संलग्नक : यथोक्त।**

भवदीय,


  
(ओम प्रकाश)  
अनु सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक, मीराजपुर क्षेत्र, मीरजापुर/वन्यजीव, पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर/ओबरा वन प्रभाग, ओबरा।
3. सी0ओ0ओ0 मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 यूनिट डाला सीमेन्ट वर्क्स, एस0एच0-5 सोनभद्र।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(ओम प्रकाश)  
अनु सचिव।

प्रेषक,

ओम प्रकाश,  
अनु सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2**

लखनऊ, दिनांक 24 नवम्बर, 2022

**विषय:-** जनपद सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0, डाला, सोनभद्र द्वारा कजरहट (डाला) लाईम स्टोन माइन्स के अन्तर्गत 294.082 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं भलुआ लाईम स्टोन माइन्स के अन्तर्गत 50.606 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 344.688 हे0 आरक्षित वनभूमि पर खनन कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 10 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने एवं बाधक 16534 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0-एफपी/यूपी/MIN/47074/2020)

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक कृपया भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या-8-26/2021-एफसी दिनांक 14.11.2022 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के उपर्युक्त पत्र दिनांक 14.11.2022 में उल्लिखित कमियों का निराकरण कर आख्या/तत्सम्बन्धी अभिलेख अपनी संस्तुति सहित आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**संलग्नक : यथोक्त।**

**भवदीय,**

(ओम प्रकाश)  
अनु सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक, मीराजपुर क्षेत्र, मीरजापुर/वन्यजीव, पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर/ओबरा वन प्रभाग, ओबरा।
3. सी0ओ0ओ0 मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 यूनिट डाला सीमेन्ट वर्क्स, एस0एच0-5 सोनभद्र।
4. गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

(ओम प्रकाश)  
अनु सचिव।